

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: आदेश :—

संख्या 6/वि0पत्रा0-24-18/2024 -

पटना/दिनांक :-

निदेशानुसार समाज कल्याण विभाग के दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के पत्रांक-1137 दिनांक 01.10.2024 के आलोक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 23(i) में निहित प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए धारा 19 एवं 20 के अनुपालन हेतु :-

1. मुख्यालय स्तर पर राज्य-कर विशेष आयुक्त (लेखा शाखा), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को पदेन शिकायत प्रतितोष अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

2. वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार के सभी अंचल कार्यालयों के अंचल प्रभारी तथा प्रमंडलीय कार्यालयों के राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन, अपील, अंकेक्षण) एवं वसूली कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी को पदेन शिकायत प्रतितोष अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / -

(ज्योति प्रकाश)

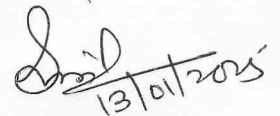
सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 6/वि0पत्रा0-24-18/2024 - 170 / पटना, दिनांक 13/01/25

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्यमंत्री (वाणिज्य-कर) के आप्त सचिव/राज्य-कर आयुक्त सह-सचिव के प्रधान आप्त सचिव/राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन/अंकेक्षण/अपील/वसूली कोषांग)/सभी अंचल प्रभारी, वाणिज्य-कर विभाग/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी, मुख्यालय, बिहार, पटना/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, बिहार, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


13/01/2025

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।